भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2748
02 अगस्त, 2022 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु नई योजनाएं

2748. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोविड-19 के संकट से उबरने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) के लिए नई योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने खाद्य उद्योग द्वारा सामना की जा रही गंभीर चिंताओं को दूर करने के लिए किसी टास्क फोर्स का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टास्क फोर्स ने खाद्य उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए रिपोर्ट और सिफारिश प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो इन सिफारिशों को लागू करने के लिए गई की कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का केरल में खाद्य उद्योगों के मुद्दों का समाधान करने का विचार है और यदि हां, तो उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या सरकार का खाद्य उद्योग में नियोजित कार्यबल की रक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो उस पर गई की कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विशेष वित्तीय सहायता देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने आत्मानिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में कई उपाय किए हैं, जिसमें शामिल हैं (क) नई केंद्र द्वारा प्रायोजित – प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना; (ख) नई केंद्रीय क्षेत्र - खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना; (ग) ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत टमाटर, प्याज और आलू से 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों तक परिवहन और भंडारण सब्सिडी के दायरे में विस्तार;

(ख) और (ग): लॉकडाउन चरणों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का समर्थन करने के लिए, एमओएफपीआई ने अधिकारियों की एक समर्पित टीम और एक कोविड शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया था। टीम ने लगातार खाद्य उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला रसद आदि की निगरानी की और 585 कोविड संबंधित उद्योग शिकायतों के समाधान की सुविधा प्रदान की और 100 से अधिक कंपनियों को अपना संचालन फिर से शुरू करने में सहायता की।

(घ) और (ड): एमओएफपीआई, अपनी योजनाओं के माध्यम से, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में गैर-कृषि रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करता है। एमओएफपीआई की योजनाओं के तहत केरल राज्य में सहायता के लिए अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग परियोजनाओं के साथ इन परियोजनाओं से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(च): एमओएफपीआई द्वारा प्रशासित योजनाओं के तहत उपलब्ध सहायता **अनुबंध-II** में दी गई है।

****

अनुबंध -I

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु नई योजनाओं के बारे में दिनांक 02.08.2022 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2748 के भाग (घ) और (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत केरल राज्य में सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग परियोजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	अनुमोदित परियोजनाओं से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर (संख्या में)
1	मेगा फूड पार्क स्कीम	2	1	234.54	100	10000
2	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना स्कीम	6	3	168.14	42.35	3600
3	कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना संरचना स्कीम	2	0	71.722	19.021	2441
4	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार स्कीम	12	7	162.74	43.51	4824
5	बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेज सृजन स्कीम	1	0	19.71	4.13	630
6	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला)	7	3	38.88	24.17	231

<u>केरल राज्य में अब तक पीएमएफएमई योजना के तहत प्रदान की गई सहायता:</u>

(i) सभी 14 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) को मंजूरी दे दी गई है।

(ii) केंद्रीय हिस्से के रूप में राज्य को 13.19 करोड़ रुपये जारी किए गए ।

(iii) एसआरएलएम ने 4820 एसएचजी सदस्यों के लिए 14.9 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी धनराशि की सिफारिश की जिसमें से एसएनए द्वारा 2145 एसएचजी सदस्यों के लिए 7.24 करोड़ रुपए जारी किए गए ।

(iv) केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर में इन्क्यूबेशन केंद्र को मंजूरी दे दी गई है।

(v) योजना के तहत 93 व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण स्वीकृत किया गया।

<u>पीएलआईएसएफपीआई योजना के तहत अनुमोदित प्रस्तावों में से केरल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग परियोजनाएं</u>

क्र.सं.	संगठन का नाम	संयंत्र स्थान	राज्य
1	आईटीसी लिमिटेड	वेलियाथ एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, दरवाजा नंबर: 1/352, थंगलूर पीओ, मुंडूर , त्रिशूर सर्कल, त्रिशूर	केरल
2	कंकोर इंग्रीडिएंट्स लिमिटेड	अंगमाली दक्षिण, एर्नाकुलम जिला	केरल
3	एमटीआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	ईस्टर्न वैली, पीबी नंबर 15, आदिमाली , आदिमाली पीओ	केरल
4	एमटीआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	अपोजिट मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट, मन्नमकंदम , आदिमाली पीओ, इडुक्की	केरल
5	एमटीआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	IV/1डीएएम रोड, पानीप्रा पो, एरुमलप्पडी , कोठामंगलम	केरल
6	प्लांट लिपिड्स प्राइवेट लिमिटेड	सीओ 2 एक्सट्रैक्शन प्लांट, स्पेशलिटी नेचुरल्स डिवीजन ईओयू, कदयिरुप्पु पीओ,	केरल
7	प्लांट लिपिड्स प्राइवेट लिमिटेड	कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन प्लांट , कदयिरुप्पु पीओ, कोलेनचेरी	केरल
8	सिंथाइट इंडस्ट्रीज पी लिमिटेड	सिंथाइट वैली, कादिरुप्पु , कोलेनचेरी , एर्नाकुलम जिला, कोच्चि	केरल
9	सिंथाइट इंडस्ट्रीज पी लिमिटेड	ब्लॉक नंबर 44, सिंथाइट टेस्ट पार्क, पैनकोड , एर्नाकुलम	केरल

अनुबंध - II

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु नई योजनाओं के बारे में दिनांक 02.08.2022 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2748 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत उपलब्ध सहायता

वर्तमान योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए पात्र परियोजना लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम निर्धारित सीमा के अधीन, अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों/पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अनुमोदित परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन स्वीकार्य है।

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण

(i) व्यक्तिगत/समूह श्रेणी के सूक्ष्म उद्यमों को सहायता: पात्र परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति यूनिट;

(ii) प्रारंभिक के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता फेडरेशन: 4 लाख रुपए प्रति एसएचजी परिसंघ के अध्यधीन कार्यशील पूंजी और लघु उपकरणों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे एसएचजी के प्रति सदस्य को 40,000/-रुपए की दर से प्रारंभिक पूंजी ।

(iii) सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए सहायता: सामान्य अवसंरचना की स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपए अधिकतम के अध्यधीन एफपीओ, एसएचजी, सहकारिताओं और किसी सरकारी एजेंसी को सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण लिंक्ड पूंजी सब्सिडी । सामान्य अवसंरचना क्षमता के पर्याप्त हिस्से के लिए किराये के आधार पर अन्य इकाइयों और जनता के उपयोग के लिए भी उपलब्ध होगा ।

(iv) ब्रांडिंग और विपणन सहायता: एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताओं के समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक का अनुदान ।

(v) क्षमता निर्माण: इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी +) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया ।